(3)

FORM No III
(नियम 26)

अज अदालत ~~अतिरिक्त~~ संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, मुकाम बीकानेर

सीताराम वगैरह बनाम– दिलीप कुमार वगैरह

किस्म मुकदमा अपील एल.आर.एक्ट नं. 01 सन 2019

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील में जारी हुऐ
16–01–2019	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील तृतीय पक्षकार द्वारा मियाद बाहर पेश की गई है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी एवं प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है तथा अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी पेश किया गया है। अपील अपीलांट प्रथमतः दर्ज रजिस्टर कर सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2012 कि विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 10.1.2019 को पेश की गई है। इतने समय बाद अपील पेश करने के कारण प्रथमतः मियाद पर विचार किया जाता है। 1. यह सामान्य नियम हे कि अपील मियाद के भीतर की जावे यदि मियाद बाहर पेश है तो अपना पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मय शपथ पत्र, सुस्थ आधारो एवं औचित्यपूर्ण कारणो जिन पर स्वभावतः विश्वास किया जा सके, के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिये। 2. यह कि 6 वर्ष 7 महिने बाद मियाद बाहर पेश हुई अपील पर मियाद पर विशेष विचार करना चहिए, किसी भी मामले में मियाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और वह पक्षकारो के बीच मे अधिकारो का सृजन एवं विलोपन करने की क्षमता रखने वाला बिन्दु हे। अतः स्पष्ट है समय का व्यतीत होना सारभूत परिधटना है जो विधी क प्रभाव को पश्चातवर्ती परिवर्तन तथा न्याय साम्या व सद्विवेक के परिशीलन को प्रभावी पक्षकार को न्यायपूर्ण विनिर्णिय मे सहायक होता हे तथा कठोर विधि के अर्थान्वयन मे वरिष्ठ न्यायालयो .....लगातार.....	

सभागीय आयुक्त
बीकानेर

द्वारा इस संबध में न्यायपूर्ण विनिर्णिय प्रदान किये हें।

3. यदि अपील के साथ स्थगन आदेश हेतु भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं प्रार्थना पत्र पर एक तरफा सुनवाई की अभ्यर्थना की है तो इस पर विनिर्णय से पूर्व मियाद का बिन्दु पर न्यायालय को सन्तुष्ट होना आवश्यक है।
4. यह कि भूमि के सीमा विवाद मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विनिर्णिय पारित किया गया है जिसमे सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करने बाबत तहसीलदार सरदारशहर को आदेशित किया गया है तथा मौका कमिशनर फीस 500/—रूपये तहसीलदार को प्रार्थी वहन करेगा का भी आदेश दिया गया है।
5. अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया कि प्रार्थीगण को आदेश जैर अपील की कोई जानकारी नही थी। दिनांक 28.12.18 को तहसील के कर्मचारी मौके पर आये तथा सीमा ज्ञान के बहाने उसके खेत की पूर्वी सीव से छेडछाड की तब पता चला। हमारे मन्तव्य अनुसार अपीलान्ट का यह कथन मान्य नही है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2012 की जानकारी अपीलान्ट को इतने समय बाद दिनांक 28.12.18 को हुई हों। अपीलान्ट द्वारा इतने विलम्ब का कोई का कोई युक्ति युक्त कारण नही बिना कोई कारण के देरी की अवधि को इतने समय तक माफ नही किया जा सकता। अपील के शेष बिन्दुओ के गुणा व अवगुण पर विवेचन करने की आवश्यकता नही है। अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दु पर ही स्वीकार योग्य नही है।

उक्त विवेचन अनुसार इतने समय बाद प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अपील ग्रहण के स्तर पर ही खारिज की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर रहे।

अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय प्रति भेजी 8-9 24-1-19

संभागीय आयुक्त
बीकानेर